उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-157/2016/2069/71-1-2016-जी-131/2015
लखनऊ : दिनांक 03 अगस्त, 2016
कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के विरूद्ध प्रवक्ता, साइकियाट्री विशिष्टता में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-257/19/डी0आर0/सेवा-8/2014-15, दिनॉक 16-03-2016 एवं 185/21/डी0आर0/सेवा-8/ 2012-13, दिनांक 14-10-2015 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 09 अभ्यर्थियों को वेतन बैण्ड रू0 15600-39100 ग्रेड पे रू0 6000/- में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

(1) संबंधित अभ्यर्थी को प्रवक्ता के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होगें।

(2) संबधित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।

(4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियो को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।

(6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होगें:-

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हो, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाणपत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथपत्र।

(3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण-पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण-पत्र।

3- जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष नही हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जाएगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।

कुमुदलता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या:-157/2016/2069(1)/71-1-2016- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करे।
4- प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, मेरठ, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, सहारनपुर, आजमगढ़, बॉदा, कन्नौज, जालौन।
5- कोषाधिकारी,/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, सहारनपुर, आजमगढ़, बॉदा, कन्नौज, जालौन।
6- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, मेरठ, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, सहारनपुर, आजमगढ़, बॉदा, कन्नौज, जालौन।
7- संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे संबंधित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण करके स्वास्थ्य परीक्षण आख्या शासन को उपलब्ध करायें।
8- संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
9- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यालय ज्ञाप संख्या-157/2016/2069/71-1-2016-जी-131/2015

दिनांक 03 अगस्त, 2016 का संलग्नक:-

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम तथा अनुक्रमांक	पत्र व्यवहार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहॉ तैनाती की गयी है।
1	डा0 कमलेन्द्र किशोर (अनु0-52030045517)	फ्लैट- जे0-603, छठा तल, एल्डिको पार्क व्यू, अपार्टमेन्ट निकट नवीन मण्डी सीतापुर रोड, लखनऊ।	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ.।
2	डा0 अभिषेक प्रताप सिंह (अनु0-52020639335)	ग्राम नरार, (दादा का पुरवा) पो0 निभापुर,जिला-जौनपुर, उ0प्र0 222204	राजकीय मेडिकल कालेज, बॉदा।
3	डा0 अंशुमान तिवारी (अनु0-52020734375)	सेक्टर-एच, मकान नं0-600/11, इन्दिरा नगर, लखनऊ ।	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर।
4	डा0 राकेश कुमार पासवान (अनु0-52030028538)	387, आवास विकास कालोनी, योजना-2 झूसी, इलाहाबाद, उ0प्र0 230139	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज ।
5	डा0 नमिता (अनु0-520302119916)	4/213, मन्नूपुरवा, पुराना कानपुर, निकट बॉबी टेन्ट हाऊस, कानपुर, 208002	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।
6	डा0 गणेश शंकर (अनु0-52050479981)	7/202 बी0 साई वाटिका अपार्टमेन्ट फ्लैट-सी0-3 स्वरूप नगर, कानपुर 208002	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर ।
7	डा0 तरूण पाल (अनु0-52050366135)	मकान नं0-64, जतिन मधिया, निकट रामलीला मैदान, पीलखुआ, हापुड़ 245304	राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
8	डा0 मो0 रेयाजुद्दीन (अनु0-51250414959)	विभाग साइक्रियाट्री, जे0एन0 मेडिकल कालेज, ए0एम0यू0 अलीगढ़।	राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
9	डा0 सुप्रिया अग्रवाल (अनु0-51220273763)	234, राम सदन, अपोजिट अनुराग सिनेमा, बागपत रोड, मेरठ, उ0प्र0 250002	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा ।

आज्ञा से,

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।